



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

रिट - ए संख्या - 5095 वर्ष 2026

हीरा लाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ और 9 अन्य।

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : देवेन्द्र कुमार पाठक, आलोक कीर्ति मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 की ओर से विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय द्वारा नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। श्री पंकज गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 9 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है।

इस रिट याचिका के माध्यम से याची द्वारा निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की प्रार्थना की गई है:-

"(i) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 (पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़) को प्रत्यर्थी संख्या 7 (चौकी प्रभारी) के अवैध एवं मनमाने कृत्यों के विरुद्ध उपयुक्त विधिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाए;

(ii) एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थीगण को ग्राम सरसापुर, तहसील-पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में स्थित गाटा संख्या 446 की आबादी भूमि पर याची का शांतिपूर्ण कब्जा पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया जाए;

(iii) एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 7 और 10 को उक्त भूमि पर याची के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया जाए।"

याची के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विवादित संपत्ति आबादी क्षेत्र में स्थित है, जो उनके पूर्वजों के समय से ही याची के कब्जे में रही है।

याची का प्रकरण यह है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 8 ने वर्ष 1993 के आसपास उक्त आबादी भूमि का अवैध पट्टा प्राप्त कर लिया था। यद्यपि, जब याची को इस बात की जानकारी हुई,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तो उन्होंने उक्त पट्टे को निरस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की, जिसे 16.10.2024 को याची के पक्ष में स्वीकार कर लिया गया।

आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि व्यथित पक्षकार द्वारा दिनांक 16.10.2024 के आदेश को चुनौती देते हुए कोई पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है।

आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि कब्जा सदैव याची के पास ही था, परंतु पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 8 ने यह संपत्ति प्रत्यर्थी संख्या 10 को बेच दी, यद्यपि उक्त विक्रय-पत्र अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

याची का यह कथन है कि दिनांक 12.01.2026 को निजी प्रत्यर्थी संख्या 8 को प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा कब्जा दिला दिया गया, जो कि थानाध्यक्ष, कोतवाली-पट्टी, जिला प्रतापगढ़ हैं।

यह कथन किया गया है कि चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 10 के साथ साठगांठ करके प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा क्षेत्राधिकार के अत्यधिक प्रयोग और अनुचित प्रभाव के कारण याची को बेदखल कर दिया गया है, अतः याची को रिट-क्षेत्राधिकार के माध्यम से पुनः कब्जा वापस दिलाया जाए।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् तथा विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए गए निर्देशों के आधार पर जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है, यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 7 ने शांति भंग की सूचना संबंधी हेल्पलाइन कॉल मिलने पर संपत्ति का निरीक्षण किया था। चूंकि कब्जे को लेकर विवादित स्थिति थी, इसलिए याची और निजी प्रत्यर्थी संख्या 10 दोनों का चालान किया गया था, परंतु याची द्वारा इस तथ्य का प्रकटन नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

चाहे जो भी हो, चूंकि यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न है कि किसका कब्जा था और प्रत्यर्थी संख्या 10 को कब्जा किस प्रकार सौंपा गया, तथा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य या सामग्री नहीं है जो याची के सुस्थापित कब्जे को दर्शाती हो, ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता वाले इन विवादित प्रश्नों में प्रवेश करने के लिए स्वयं को सक्षम नहीं पाता है।

प्रकरण के इस दृष्टिकोण के द्रष्टिगत, यह न्यायालय वर्तमान याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं है, यद्यपि याची हेतु विधि के अंतर्गत उपलब्ध अन्य विधिक उपचार अपनाने का विकल्प खुला रखा जाता है।

उपरोक्त टिप्पणी के साथ यह वर्तमान याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला) (न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह)

5 जून, 2026

आशीष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।